


# न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या....3.5.5/2022

आवेदिका बंसती देवी पति अर्जुन यादव, साकिन-केनदुआ, पोस्ट-चलकुशा, थाना-चलकुशा, जिला-हजारीबाग द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
मोरियावा	02	51	1385	2.5 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ...13...../...12...../2022 को प्रस्तुत करें।


  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-मोरियावा, थाना नं०-02, खाता सं०-51, प्लॉट, सं०-1385, रकवा-2.5 डी० भूमि पंजी-II के पृष्ठ संख्या-45 भाग संख्या-27 पर बंसती देवी पति अर्जुन यादव के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-3024/2021-22 है। उक्त भूमि आवेदक को केवाला संख्या-2476 दिनांक 31.07.2021 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। शपथ पत्र संख्या-10 दिनांक 10.11.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा-मोरियावा, थाना नं०-02, खाता सं०-51, प्लॉट, सं०-1385, रकवा-2.5 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-मोरियावा, थाना नं०-02, खाता सं०-51, प्लॉट, सं०-1385, रकवा-2.5 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा।

06.12.2022

13.12.2022